

फा. सं. 14-7/2011-अकादमिक. (विविध) (खंड IV)
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान
(यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय)
17-बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली- 110016

8 जून, 2023

परिपत्र

विषय: नीपा में कार्यरत सभी कर्मचारियों की समय की पाबंदी एवं उपस्थिति के संबंध में।

यह देखा गया है कि कुछ कर्मचारियों द्वारा कार्यालय में समय की पाबंदी और उपस्थिति की आवश्यकता का पालन नहीं किया जा रहा है, जो आदतन देर से कार्यालय आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। इस मामले पर पहले कुलसचिव ने परिपत्र संख्या 14-11/2017-कार्मिक (विविध) दिनांक 15.02.2017 के माध्यम से बल दिया था।

इसलिए, सभी कर्मचारियों (संकाय सदस्यों/कर्मचारियों/परियोजना स्टाफ सहित) की जानकारी के लिए यह दोहराया जाता है कि संस्थान में कार्यालय समय सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक है।

इसलिए, सभी कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उक्त कार्य घंटों का गंभीरता से पालन करें और उचित कार्यालय शिष्टाचार बनाए रखने के लिए तदनुसार अपने-अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों, ताकि नियमों के अनुसार ऐसी देर से उपस्थिति/जल्दी जाने के लिए छुट्टी में कटौती से बचा जा सके।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


कुलसचिव,

प्रति

नीपा के सभी कर्मचारी जिनमें शामिल हैं:

- (i) समूह 'क' अधिकारी जिनमें शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी (नियमित और संविदा) शामिल हैं,
- (ii) समूह 'ख' और समूह 'ग' कर्मचारी, और
- (iii) सभी परियोजना कर्मचारी।

प्रतिलिपि:

1. कुलपति के वरिष्ठ निजी सचिव - सूचनार्थ
2. कुलसचिव के निजी सहायक - सूचनार्थ
3. सिस्टम एनालिस्ट - संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा
4. सूचना पट्ट
5. अनुभाग की गार्ड फाइल
6. मास्टर फाइल